न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
122 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	07.12.2022	13.03.2023

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1–श्री रॉकी सबनानी पुत्र श्री राजेश सबनानी एफ.बी.ओ. मैसर्स जय शंकर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर सिन्धी कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. निवासी सिन्धी धर्मशाला के पीछे सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक

2–श्री महेश कुमार गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स कौशल फार्मा फ्लोर जै–163–166, वीकेआई एरिया रोड नं. 17 आखेडा डूंगर जयपुर

3–श्री उमा शंकर शर्मा पुत्र श्री छीतर मल शर्मा नॉमिनी मैसर्स क्यूफार्म हेल्थ केयर लिमिटेड ग्राउण्ड फ्लोर प्लॉट नं0 जे–164, इण्ड. एरिया आखेडा डूंगर रोड नं. 17 वीकेआई एरिया जयपुर

..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–निर्माता फर्म के प्रतिनिधि उप.।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 13.03.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.06.2022 को समय 12:09 पी.एम पर मैसर्स जय शंकर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर सिन्धी कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहॉ पर श्री रॉकी सबनानी पुत्र श्री राजेश सबनानी मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रॉकी सबनानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर औषधि अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **फूड सप्लीमेंट लाईकोबिड ब्राण्ड (Food Supplement Lycobid Brand)** के 200–200 एम.एल. के 50 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री रॉकी सबनानी को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **फूड**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सप्लीमेंट लाईकोबिड ब्राण्ड (Food Supplement Lycobid Brand) जिसके बैच नं. क्यूपी–21046 एवं पैकिंग की दिनांक अक्टूबर 2021 थी, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 200–200 एम.एल. के 8 नग पॉली पैक कुल 1600 एम.एल. खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **फूड सप्लीमेंट लाईकोबिड ब्राण्ड (Food Supplement Lycobid Brand)** कुल 1600 एम.एल. के 2–2 नग वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3197 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3197 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा नमूना क्रय करते समय श्री रॉकी सबनानी पुत्र श्री राजेश सबनानी ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स मैसर्स कौशल फार्मा फ्लोर जै–163–166, वीकेआई एरिया रोड नं. 17 आखेडा डूंगर जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 2145 दिनांक 16.08.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. / 2127 / एक्ट / 2022 / 2405 दिनांक 26.07.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **फूड सप्लीमेंट लाईकोबिड ब्राण्ड (Food Supplement Lycobid Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

वारंटी होने के कारण आवेदक ने प्रबंधक मैसर्स कौशल फार्मा फ्लोर जै–163–166, वीकेआई एरिया रोड नं. 17 आखेडा डूंगर जयपुर को खरीद बिल हेतु पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स क्यूफार्म हेल्थ केयर लिमिटेड ग्राउण्ड फ्लोर प्लॉट नं0 जे–164, इण्ड. एरिया आखेडा डूंगर रोड नं. 17 वीकेआई एरिया जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत किया। अतः आवेदक ने विकेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फूड सप्लीमेंट लाईकोबिड ब्राण्ड (Food Supplement Lycobid Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **फूड सप्लीमेंट लाईकोबिड ब्राण्ड (Food Supplement Lycobid Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.03.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0